कार्यालय कलक्टर (लोकसेवा प्रबंधन) जिला –राजगढ (म.प्र.)

2253 19/09/2022

क्रमांक ..../लोसेप्र/2022 राजगढ़ दिनांक ....../....../2022

// विज्ञप्ति //

मध्य प्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-6-1/2011/लोसेप्र/61-1 भोपाल दिनांक 17/09/2020 के द्वारा जिला राजगढ़ अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर लोकसेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत कार्यालय सहायक (संविदा) कुल 01 स्वीकृत पद की अवधि 05 वर्ष (14/01/2020 से 13/01/2025) या परियोजना अवधि (जो पहले हो) तक है| इस विभाग के आदेश क्रमांक 160/आर386/2022/लोसेप्र/61-1 भोपाल दिनांक 28/02/2022 के परिपेक्ष्य में जिला राजगढ़ में जिला स्तर पर (संविदा) एकमुश्त मानदेय राशि रूपये 8500 /- प्रतिमाह का कार्यालय सहायक (संविदा) पद को भरे जाने हेतु आवेदकों का आवेदन पत्र दिनांक 20/10/2022 तक आमंत्रित किया जाता है।

पद का विवरण

क्र	पद का नाम	पदस्थापना	पद संख्या	मानदेय	वर्ग
1	कार्यालय सहायक (लोक सेवा)	जिला स्तर पर (संविदा)	01	रू 8500/- प्रतिमाह	अनारक्षित (मुक्त)

शैक्षणिक योग्यता

01 मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से न्युनतम 60 प्रतिशत प्राप्त अंक के साथ स्नातक उपाधि।

02 विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग के अंतर्गत एम.पी.एस.ई.डी.सी {पूर्व में मैप आई.टी (MAP-IT)} द्वारा आयोजित कम्प्युटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) में उत्तीर्ण। । CPCT स्कोर कार्ड के अनुभाग 01 अंतर्गत कम्प्यूटर दक्षता एवं 02 अंतर्गत हिंदी टाइपिंग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा |

शर्तें

01 संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

02 दिनांक 01/01/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक आयु पूर्ण आवेदको के आवेदन मान्य होंगे (महिला आवेदक, शासकीय निगम, मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं नि:शक्तजन वर्ग को 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी) |

03 इस नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत शर्तें, नियुक्ति हेतु अहर्ताए , चयन प्रक्रिया , संविदा शर्तें इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है |

04 उपरोक्त पद हेतु आवेदन एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल https://www.mponline.gov.in/ के माध्यम से लिए जायेगें एवं चयन प्रक्रिया की आगामी समस्त सुचनाए / संशोधन इत्यादि का प्रकाशन इसी पोर्टल पर होगा |

05 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नही किया जावेगा।

06 इस नियुक्ति प्रक्रिया को कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा|

07 किसी भी विवाद की स्थिती में कलेक्टर जिला राजगढ़ का निर्णय अंतिम होगा |

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
एवं नोडल अधिकारी लोकसेवा प्रबंधन
जिला राजगढ (मप्र.)

समय–सारणी

क्र	कार्य	समय–सीमा
1	आवेदन पत्र प्राप्त करने तिथि	30.09.2022
2	आवेदन पत्र प्राप्त करने अंतिम तिथि	20.10.2022
3	प्रोविजनल मेरिट सूची प्रकाशित करना	आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक से एक सप्ताह के भीतर
4	अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन कर आपत्तियां प्राप्त करना	प्रोविजनल मेरीट सूचि जारी दिनांक से एक सप्ताह तक

अपर कलेक्टर एवं
नोडल अधिकारी, लोक सेवा प्रबंधन
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र

कार्यालय सहायक नियुक्ति हेतु अर्हता एवं चयन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश के जिला राजगढ़ में लोकसेवा प्रबंधन विभाग में कार्यालय सहायक (संविदा) हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

1. पद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	पदस्थापना	पद संख्या	मानदेय	वर्ग
1	कार्यालय सहायक (लोक सेवा)	जिला स्तर पर (संविदा)	01	रू 8500/- प्रतिमाह	अनारक्षित (मुक्त)

2. शेक्षणिक योग्यता :-

I. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्त अंक के साथ स्नातक ।

तथा

II. विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग के अंतर्गत एम.पी.एस.ई.डी.सी { पूर्व में मैप आई.टी (MAP-IT) } द्वारा आयोजित कम्प्युटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) में उत्तीर्ण । CPCT स्कोर कार्ड के अनुभाग 01 अंतर्गत कम्प्यूटर दक्षता एवं 02 अंतर्गत हिंदी टाइपिंग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा |

3. आयु :-

I. आवेदक का म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है| पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :- आयु सीमा की गणना के लिए तिथि दिनांक (01/01/2022) होगी|

क्र	श्रेणी	अधिकतम आयु-सीमा
1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	40
2	महिला आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	45
3	पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45
4	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग)	45
5	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/ मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45
6	नि:शक्तजन आवेदको के लिए	45

4. आवेदन :-

उपरोक्त पद हेतु आवेदन जिला राजगढ़ द्वारा एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल https://www.mponline.gov.in/ के माध्यम से लिए जायेंगें|

5. चयन प्रकिया :-

I. प्राप्त आवेदनो को उनके CPCT स्कोरकार्ड अनुसार अनुभाग 01 अंतर्गत प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सुची तैयार कर सार्वजिनक रूप से प्रकाशित कर दावे अनापति प्राप्त करेंगें तत्पश्चात मेरिट सुची अनुसार संविदा आदेश जारी किये जावेगें|

II. समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियो मे से अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्रथम वरीयता दी जावेगी|

III. मेरिट सुची के शेष योग्य उम्मीदवार को भविष्य में पद रिक्त/त्याग-पत्र/सेवा समाप्त/अयोग्य आदि होने की दशा में अर्हता सूची में से वरीयता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन सबंधित जिला कलेक्टर कर सकेंगे मेरिट सुची जारी करने के दिनांक से 02 वर्ष के लिए वैधता रहेगी|

6. दस्तावेज सत्यापन :-

नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रावधिक अर्हता सुची में आए अभ्यर्थियो को दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा| अभ्यर्थी का जिले के कलेक्टर कार्यालय में मुल दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा| दस्तावेजो का प्रमाणीकरण जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी करेंगें| अभ्यर्थियो को निम्न दस्तावेजो का सत्यापन कराना अनिवार्य है :-

I. हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सुची

II. हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सुची

III. पद हेतु निर्धारित न्युनतम योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र (जो अभ्यर्थी पर लागु हों)

IV. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु (स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र)

दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सभी अर्हताएँ ठीक पाये जाने पर ही वास्तविक पदस्थापना आदेश संविदा नियुक्ति शर्तो अनुसार अनुबंध निष्पादन हेतु जिला कलेक्टर कार्यलय द्वारा जारी किया जाएगा | उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं दस्तावेज असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदारी अमान्य कर दी जावेगी |

7. निरहर्ताये :-

1 पररूपधारण:- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिये अनर्हकारी माना जाएगा ।

2 कुटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर ।

3 कदाचरण संबंधी:- किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेगा यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्यूत कर दिया गया हो । यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।

4 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरूद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोषी सिद्ध हुआ हो ।

5 स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट न होने पर :- किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेगा तब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो के द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे ।

6 फर्जी दस्तावेज / चयन के स्तर पर जानकारी छिपायी हो ।

7 वर्तमान या पूर्व में किसी भी जिला से कदाचरण अनुशासनहीनता आदि के कारण सेवा से पृथक किये गए हों अथवा इस सम्बंध में कोई प्रकरण विचारदीन न हो ।

8. अन्य :-

I. आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये गये है | डाक, व्यक्तिगत, ई-मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा |

संविदा नियुक्ति शर्ते

1. संविदा अवधि

1.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगीं। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्याकंन किया जायेगा। मुल्याकंन आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुन: सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया सकेगा। इस तरह संविदा नियुक्ति में 2 बार वृद्धि की जा सकेगी अर्थात कुल संविदा अवधि तीन वर्ष के लिए होगी।

1.2 3 वर्ष के पश्चात आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समग्र विचार कर सेवा अवधि में वृद्वि का निर्णय लिया जायेगा।

1.3 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नही किया जायेगा।

1.4 प्रत्येक वर्ष पुन:संविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

2. मानदेय/पारिश्रमिक

कार्यालय सहायक को रू 8500/- प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जाएगा मंहगाई एवं अन्य गृह भाडा भत्ता आदि नही दिया जायेगा।

2.1. यात्रा एवं दैनिक भत्ता

कार्यालय सहायक को राज्य शासन के सहायक ग्रेड -1 के समान यात्रा भत्ता देय होगा ।

3. ई.पी.एफ. कटोत्रा-

ई.पी.एफ. कटोत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागु होंगे।

4. अवकाश

(क) आकस्मिक अवकाश - संविदा पर नियुक्ति अधिकारीयों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी ।

(ख चिकित्सा अवकाश - संविदा पर नियुक्ति अधिकारीयों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में आगामी वर्ष में नही जोडा जावेगा।

(ग) प्रसूति अवकाश - संविदा पर नियुक्ति महिला अधिकारियों/ कर्मचारियों का नियमानुसार 90 दिन (तीन माह) के प्रसूति अवकाश की पात्रता मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित संतानों तक देय होगा।
प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्कताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना पारिश्रमिक के अवकाश स्वीकृति किया जा सकेगा। स्वीकृत का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा।

(घ) उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपयोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर रहने / अनुपस्थित की अवधि का वेतन देय नही होगा।

5.0 अन्य -

5.1 नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मुल प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 07 दिवस की अवधि में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

5.2. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी की सेवाऐ निर्धरित अवधि के पुर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

5.3 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी एक माह का पुर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी बिना समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/ जानकारी किसी अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

5.5 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों /कार्यालय में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/ व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागु रहेगा।

5.6 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगें ।

5.7 नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

5.8 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को आधारभूत एवं उसे दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्य: भाग लेना होगा।

5.9 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवको को लागु नियमों या अनुदेशो के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकुल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।

5.10 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

5.11 संविदा पर नियुक्त अधिकार/कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नही करने की स्थिती में कारण बताओ स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रु 250/-तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा| संविदा के दौरान 02 बार से अधिक अर्थ दण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थ दण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

5.12 चयनित अभ्यर्थी उसका पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा| यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वत: समाप्त मानी जावेगी।

5.13 विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

5.14 कार्यालय सहायक के जाब चार्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित किये जाएँगे।

5.15 चयन की स्थिति में संविदा के पूर्व मुल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।